

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

❖ आदेश ❖

भोपाल, दिनांक 19/12/2007

क्रमांक एफ-13-12/2007/बीस-1 : राज्य शासन द्वारा प्राचार्य हाईस्कूल-संवर्ग से प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 4 एवं 5 जुलाई 2007 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित प्राचार्य हाईस्कूल को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शित संस्था में पदस्थ किया जाता है :-

❖ अनारक्षित संवर्ग ❖

स.कं.	नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी	डाईट बीजलपुर इन्दौर	डाईट बीजलपुर इंदौर
2	श्रीमती चन्द्रवती जाधव	शास. हाईस्कूल अटाईडा देपालपुर इन्दौर	शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि. देवास
3	श्री एम.एल. महाजन	शास. हाईस्कूल मागरखेडी खरगोन	शास.उ.मा.वि. सुठी मंदसौर
4	श्री सुभाष जैन	शास. हाईस्कूल तिल्लौरखुर्द, इंदौर	शास. उ.मा.वि. नारायणगढ मंदसौर
5	श्री रमेश चन्द्र सुगलिया	शास. उमावि. बडगौदा, इंदौर	शास.उ.मा.वि. नाहरगढ मंदसौर
6	श्रीमती उषा लाठिया	शास. हाईस्कूल बरुद, खरगोन	शास.उ.मा.वि. गांधीसागर मंदसौर
7	श्री आर.सी. आकोलकर	शास. क. उमावि. गौतमपुरा, इंदौर	शास.उ.मा.वि. चंदवासा मंदसौर
8	कु. निर्मला सिंह	शास. हाईस्कूल बाबल्या खुर्द इन्दौर	शास.उ.मा.वि.बा.बागली देवास
9	श्री प्रदीप कुलकर्णी	शा. हाईस्कूल बीजलपुर, इंदौर	शास.उ.मा.वि.गांधीनगर इन्दौर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला म.प्र.

क्रमांक/

..... दिनांक

❖ कार्यालयीन आदेश ❖

म.प्र. स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-13-12/2007/बीस-1 दिनांक 2007 द्वारा प्राचार्य, हाईस्कूल संवर्ग से प्राचार्य, उमावि. के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस पदोन्नति आदेश के फलस्वरूप प्राचार्य पद पर पदस्थ निम्नलिखित प्राचार्य (हाईस्कूल) को पदोन्नत प्राचार्य (उ.मा.वि.) के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यमुक्त कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ किया जाता है। संबंधित की पदस्थापना का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से शासन से प्राप्त अनुमोदन उपरान्त जारी किया जायेगा।

स.क्र.	प्राचार्य, हाईस्कूल का नाम	कार्यरत संस्था का नाम
1	2	3

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

..... दिनांक

सू. क्रमांक /
प्रतिलिपि-

6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
7. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
8. संबंधित स्कूल के प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. संबंधित प्राचार्य, हाईस्कूल की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला म.प्र.

क्र./

दिनांक

❖ कार्यालयीन आदेश ❖

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-13-12/2007/बीस-1 दिनांक12.2007 के द्वारा प्राचार्य हाईस्कूल संवर्ग से प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नति कर पदस्थापना की गई है। इस आदेश में यह उल्लेखित है कि दिनांक 2007 तक जो पदोन्नत प्राचार्य, उमावि. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं देंगे तो उनका पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के उक्त आदेश द्वारा निम्नलिखित प्राचार्य हाईस्कूल को प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित संस्था में पदस्थ किया गया था। उन्होंने निर्धारित तिथि तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपनी उपस्थिति नहीं दी है। अतः म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के उपरोक्त आदेश दिनांक 2007 के अनुक्रम में संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त हो गया है। संबंधित को सूचनार्थ यह आदेश जारी किया गया है।

स. क्र.	म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत प्राचार्य उमावि. का नाम एवं संस्था का नाम
1	2	3

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला

दिनांक

पृ.क्र./

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला म.प्र.

क्र. /

दिनांक

❖ कार्यालयीन आदेश ❖

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-13-12/2007/बीस-1 दिनांक12.2007 के द्वारा प्राचार्य हाईस्कूल संवर्ग से प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नतियां की गई है। इस आदेश के अनुक्रम में निम्नलिखित प्राचार्य हाईस्कूल को उनके सामने दर्शायें विद्यालय में पदोन्नत कर पदस्थ किया गया था। संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल द्वारा लिखित में यह सूचित किया गया है कि वे स्वैच्छिक रूप से पदोन्नति का परित्याग कर रहे हैं और वे पदोन्नति पर नहीं जाना चाहते हैं। अतः म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के उपरोक्त आदेश दिनांक12.2007 के अनुक्रम में उपरोक्त प्राचार्य हाईस्कूल का प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नति का आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

सं. क्र.	म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत प्राचार्य उमावि. का नाम एवं संस्था का नाम
1	2	3

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला

दिनांक

पृ.क्र./

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला म.प्र.

क्र. /

दिनांक

❖ कार्यालयीन आदेश ❖

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-13-12/2007/बीस-1 दिनांक12.2007 के द्वारा प्राचार्य हाईस्कूल संवर्ग से प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नतियां की गई है। इस आदेश के अनुक्रम में निम्नलिखित प्राचार्य हाईस्कूल को उनके सामने दर्शायें विद्यालय में पदोन्नत कर पदस्थ किया गया था। संबंधित प्राचार्य हाईस्कूल द्वारा लिखित में यह सूचित किया गया है कि वे स्वैच्छिक रूप से पदोन्नति का परित्याग कर रहे हैं और वे पदोन्नति पर नहीं जाना चाहते हैं। अतः म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के उपरोक्त आदेश दिनांक12.2007 के अनुक्रम में उपरोक्त प्राचार्य हाईस्कूल का प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नति का आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

सं. क्र.	म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	पदोन्नत प्राचार्य उमावि. का नाम एवं संस्था का नाम
1	2	3

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला

दिनांक

पृ.क्र./

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला म.प्र.

प्रपत्र-1

क्रं./

दिनांक

❖ कार्यालयीन आदेश ❖

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ-13-12/2007/बीस-1 दिनांक12.2007 के अनुपालन में निम्नलिखित प्राचार्य हाईस्कूल को प्राचार्य उमावि. के पद पर पदोन्नत कर उनके सामने दर्शाई गई संस्था में पदस्थ किया गया है। संबंधित प्राचार्य उमावि. द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुक्रम में नीचे दर्शाये अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदमार ग्रहण कर अपनी उपस्थिति दे दी है।

स. क्र.	म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	प्राचार्य उमावि. का नाम एवं कार्यरत संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत नवीन पदास्थापना वाली संस्था का नाम	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पद ग्रहण करने का दिनांक
1	2	3	4	5

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

प.क्र./
प्रतिलिपि :-

दिनांक

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधीजन की ओर सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल - 462021

दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651

ई-मेल dpimp@sancharnet.in

पृ.क. स्था-1/राज/बी/2007/1649,
प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक 20/12/2007


1. निज सचिव, मान. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल।
6. संबंधित कलेक्टर, जिला म.प्र.।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.।
8. संबंधित प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय म.प्र.।
9. संबंधित संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग म.प्र.।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला म.प्र.।
11. संबंधित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान म.प्र.।
12. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला म.प्र.।
13. संबंधित प्राचार्य, म.प्र.।
14. संबंधीजन म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एस.बी. धोटे)

सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल।
 6. संबंधित कलेक्टर, जिला म.प्र.।
 7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.।
 8. संबंधित प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय म.प्र.।
 9. संबंधित संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग म.प्र.।
 10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला म.प्र.।
 11. संबंधित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान म.प्र.।
 12. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला म.प्र.।
 13. संबंधित प्राचार्य, म.प्र.।
 14. संबंधीजन म.प्र.।
 15. आर्डर बुक ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।




अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

- स्वीकृत नहीं है तो ऐसी स्थिति में संबंधित प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करायेंगे तथा पदांकन आदेश संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 27-12-2007 तक एकल नस्ती के माध्यम से संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे।
- 12) पदोन्नति उपरांत निर्धारित दिनांक 26-12-2007 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यदि प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसका पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। ऐसे प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को लिखित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र-4 अनुसार दी जायेगी।
- 13) जिन शा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्व से हाईस्कूल स्तर के प्राचार्य पदस्थ हैं वे नदपदोन्नत प्राचार्य, उमावि. के उपस्थित होने पर स्वमेव कार्यमुक्त माने जावेंगे और वे अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में पदस्थापना हेतु संलग्न प्रपत्र-5 अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय (स्था-1) म.प्र. को 03 दिवस में प्रस्ताव एकल नस्ती के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
- 14) प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र.-21 सन् 1994) तथा म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबन्धों का और उक्त अधिनियमों तथा नियमों उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा (6) की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।
- 15) म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है।

संलग्न : प्रपत्र 1 से 5 तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(क.सी. पन्त)
अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 19/12/2007

पृ.क्र. एफ-13-12/2007/बीस-1
प्रतिलिपि :

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
4. संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.।

- प्रस्ताव सहित अवगत करावें। इस कार्यवाही हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी पूर्ण उत्तरदायी होंगे।
- 6) जिन प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पदोन्नति उपरांत पदस्थापना दूसरे जिले में की गई है उन प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के आदेश मिलते ही सेवा अभिलेख का सत्यापन कर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भारमुक्त किया जायें।
 - 7) नव-पदोन्नत प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवीन पदस्थापना के जिले में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 26-12-2007 तक पदभार ग्रहण करेंगे जिसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी संलग्न प्रपत्र-1 अनुसार संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे।
 - 8) इन प्राचार्यों का प्रशिक्षण अगले दिवस को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर रखा जावेगा। प्रशिक्षण उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र-2 अनुसार पदांकित संस्था के लिए भारमुक्त किया जावेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति दिनांक ही पदोन्नति उपरांत कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक होगी।
 - 9) (अ) यदि पदोन्नत प्राचार्य द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया जाता है, तो उसे 12 वर्ष बाद मिलने वाली कमोन्नति की सुविधा का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कं. एफ-1-1/1/वे.आ.प्र./99 दिनांक 05 जुलाई 2002 / 23 सितंबर 2002 के प्रकाश में प्राप्त नहीं होगा।
(ब) पदोन्नति का परित्याग मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 की कण्डिका 6(15) के अनुक्रम में पदोन्नत लोक सेवक को ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इंकार करने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति की उद्भूत होने तक जो भी पश्चात्वर्ती हो पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
 - 10) जो प्राचार्य हाईस्कूल, प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पदोन्नति पद पर नहीं जाना (परित्याग करना) चाहते हैं वे प्राचार्य हाईस्कूल लिखित में दो प्रतियों में इस आशय की सूचना दिनांक 26-12-2007 तक अपने वर्तमान पदस्थापना वाले जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी यह सूचना प्राप्त होने पर संलग्न प्रपत्र-3 अनुसार संबंधित प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इसकी पावती की सूचना देंगे तथा यदि पदस्थापना दूसरे जिले में है तो इसकी सूचना उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जायेगी। पदोन्नति परित्याग सूचना की एक प्रति संचालनालय को भेजी जायेगी। सेवापुस्तिका में इसका प्रमाणीकरण भी अंकित किया जायेगा कि संबंधित प्राचार्य, हाईस्कूल के पदोन्नति का परित्याग किया है। तत्पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 31-12-2007 तक ऐसे प्राचार्य हाईस्कूल की सूची संचालनालय को प्रस्तुत करेंगे।
 - 11) यदि किसी प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को पदोन्नति उपरांत पदस्थापना शून्य बजट के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में की गई और वहां प्राचार्य का पद

❖ अनुसूचित जाति संवर्ग ❖

स.कं.	नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्रीमती सुषमा वैश्य	शास. हाईस्कूल अजनोद सांवेर, इंदौर	शास. उ.मा.वि. क. नीमच नगर नीमच
2	श्रीमती रश्मि बारसे मेहता	शास. हाईस्कूल मर्दाना, खरगोन	शास.उ.मा.वि.क.सीतामउ मंदसौर
3	श्री एन.के. वर्मा	शास. मालव क. उ.मा.वि. इंदौर	शास.उ.मा.वि. बोलिया मंदसौर

- 2) पदोन्नत प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की वरिष्ठता विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा अनुसार यथास्थान रहेगी।
- 3) उपरोक्त पदोन्नत प्राचार्यों को दिनांक 16.11.07 से "काम नहीं दाम नहीं" के आधार पर नोशनल पे फिक्शंसन कर वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिया जाएगा।
- 4) उक्त आदेश में निम्न वरिष्ठता क्रमांक तक के प्राचार्य हाईस्कूल को पदोन्नत किया गया है :-

स.क्र.	प्रवर्ग	वरिष्ठता क्रमांक (प्राचार्य हाईस्कूल वरि. सूची 2007 / व्याख्याता वरि.सूची 2003) एवं दिनांक
1	अनारक्षित	913 / 2292-ए दिनांक 24.04.85
2	अनुसूचित जाति	1080 / 5425 दिनांक 21.02.91
3	अनुसूचित जनजाति	1564 / 7696 (निर्धारित अर्ह/अनुभव के लोक सेवक उपलब्ध नहीं)

- 5) पदोन्नति उपरांत पदांकन संस्था हेतु भारमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर जो प्राचार्य हाईस्कूल पदोन्नत हो रहे है, वे उक्त उल्लेखित वरिष्ठता क्रमांक के बाद के न हों या उनके विरुद्ध किसी प्रकार के आपराधिक प्रकरण/जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही न हो या ऐसी शास्ति न हो जो उनकी पदोन्नति में बाधक हो। ऐसी स्थिति पाये जाने पर उन्हें भारमुक्त न किया जाकर संचालनालय को अपने